



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 2012/फाल्गुन 30, 1933

No. 123]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 2012/PHALGUNA 30, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2012

सा.का.नि. 230(अ).—स्वापक औषधी और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 207(अ), दिनांक 10 मार्च, 2011 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या छोड़ी गई वस्तुओं के सिवाए, केन्द्र सरकार एतद्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

- (i) माननीय न्यायमूर्ति सुश्री रेवा खेत्रपाल, अध्यक्ष
- (ii) माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव सहाय एंडलॉ, सदस्य
- (iii) माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मुक्ता गुप्ता, सदस्य

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2012 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. यू. 11016/01/2011-पी.आई.टी.एन.डी.पी.एस.]

नीता गुप्ता, अवर सचिव

पाद टिप्पणी.—यह अधिसूचना सा.का.नि. 207(अ), दिनांक 10 मार्च, 2011 भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 10 मार्च, 2011 को प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2012

G.S.R. 230(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notification of the Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue No. G.S.R. 207(E), dated 10th March, 2011 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year consisting of :—

- (i) Hon'ble Ms. Justice Reva Khetrpal, Chairperson
- (ii) Hon'ble Mr. Justice Rajiv Sahai Endlaw, Member
- (iii) Hon'ble Ms. Justice Mukta Gupta, Member

2. This Notification shall come into force with effect from 23rd March, 2012.

[F.No. U. 11016/01/2011-PITNDPS]

NITA GUPTA, Under Secy.

Foot note.—The Notification G.S.R. 207(E), dated 10th March, 2011 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i) on 10th March, 2011.